



भारत सरकार
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगता सशक्तिकरण विभाग



राष्ट्रीय वयोश्री योजना

वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण
प्राप्त करने हेतु

आवश्यक प्रपत्र

1. आधार कार्ड (60 वर्षीय एवं उससे अधिक)
2. सरकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र या राशन कार्ड (प्रार्थी की आमदनी 15,000/- रूपये मासिक या इससे कम हो)
3. प्रार्थी का एक फोटो



नोट: लाभार्थी द्वारा 3 वर्षों के दौरान भारत सरकार/ राज्य सरकार एवं अन्य समाजिक योजना के अन्तर्गत किसी सरकारी/गैर-सरकारी, अन्य संस्था से कोई उपकरण प्राप्त न किया हो।



अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें



Composite Regional Centre for Skill Development, Rehabilitation
& Empowerment of Persons with Disabilities (CRC)
& Pradhan Mantri Divyasha Kendra (PMDK), Ranchi
Besides Block Office, Khijri, Nayatoli, Namkum, Ranchi - 834010
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India
✉ ccranchi2020@gmail.com, ☎ 0651-2260080, 8987632707